राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः एफ. 15(1)कार्मिक/क–2/2009 जयपुर, दिनांक :– 29 APR 2022

:संशोधित परिपत्रः

विषयः–सेवानिवृत्त राज्य अधिकारी/कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में पुनर्नियुक्त किये जाने के संबंध में।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 31.03.2015 के क्रम संख्या (vi) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः–

(vi) जिन विभागों के प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन विभागों के पुनर्नियुक्ति के प्रकरण प्रशासनिक सचिव के अनुमोदन पश्चात कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे। कार्मिक एवं वित्त विभाग के अनुमोदन पश्चात प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रकरण मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह परिपत्र वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 13.01.2022 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

28/4/22
(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ उप शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

22/2022

1

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक : एफ. 15(1)कार्मिक/क–2/2009 जयपुर, दिनांक :–31.03.2015

–:परिपत्र:–

विषयः–सेवानिवृत्त राज्य अधिकारी/कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में पुनर्नियुक्त किये जाने के संबंध में।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति किये जाने की प्रक्रिया बाबत् निर्देश कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक. एफ. 15(1)का./क–2/75 दिनांक 03.06.1975 व आदेश दिनांक 25.02.1976, 06.04.1978, 06.10.1978 व 09.12.1980 तथा आज्ञा दिनांक 23.09.1993 एवं 04.01.1996 जारी किये हुये है जिसके अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति कार्मिक विभाग की सहमति एवं मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही की जा सकती है। सामान्यतः ऐसी पुनर्नियुक्ति विभिन्न आयोगों तथा विशिष्ठ सेवाओं के लिए होती है जिनकी कार्यकाल अवधि निश्चित होती है। इस प्रकार की नियुक्ति के लिए पद उपलब्ध होना आवश्यक है। सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति हेतु मंत्रिमण्डल की आज्ञा प्राप्त करने की लम्बी प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुये सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति हेतु यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी पुनर्नियुक्ति कार्मिक विभाग व वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से की जा सकेगी।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–151 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति बाबत आवश्यक संशोधन वित्त विभाग की अधिसूचना प. 12(6)वित्त/नियम/2009 दिनांक 27.09.2013 के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् 'पे माइनस पेंशन' के आधार पर, नियामक आयोगों, प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरणों, माननीय मंत्रिगण के वैयक्तिक स्टाफ, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में सचिवों, जिला उपभोक्ता मंचों या अन्य अर्द्ध न्यायिक/न्यायिक मंचों, जांच आयोगों में तथा आपवादिक योग्यता एवं कुशलता वाले विशिष्ट कार्यों के लिए ही पुनर्नियुक्ति की जा सकेगी। इस बाबत वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना प. 12(6)वित्त/नियम/2009 दिनांक 22.09.2014 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–151 में प्रावधान किया गया है।

अतः कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में उपरोक्त जारी समस्त आदेशों, परिपत्रों के अतिक्रमण में, पुनर्नियुक्ति हेतु अब निम्नलिखित प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

(i) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–151 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय दिनांक 22.09.2014 के प्रावधान के अन्तर्गत ही 'Pay (-) Pension' के आधार पर पुनर्नियुक्ति की जा सकेगी।

3

(ii) आपवादिक विशिष्ठ योग्यता एवं कुशलता के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी की 'Pay (-) Pension' के आधार पर पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में सेवानिवृत्त अधिकारी की आपवादिक विशिष्ठ योग्यता एवं कुशलता का विस्तृत विवरण पुनर्नियुक्ति प्रस्ताव में अंकित किया जायेगा।

(iii) पुनर्नियुक्ति की मंजूरी के लिए प्रस्ताव विभागाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा। अधिकारी की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पत्रावली, कार्य संपादन तथा उपलब्धियों से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण सेवा अभिलेख और विभागीय जांच, यदि कोई हो, ऐसी सिफारिशों के साथ भेजी जानी चाहिये।

(iv) तदुपरांत ऐसे प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण, संबंधित प्रशासनिक सचिव द्वारा, जो प्रभारी मंत्री के आदेशों को अभिप्राप्त करेगा, किया जावेगा और यदि उसका दृढ़ मत है कि कार्मिक की विशिष्ठ योग्यता एवं कुशलता को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्नियुक्ति न्यायोचित है, तब ऐसा प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में कार्मिक एवं वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा। ऐसे प्रकरण कार्मिक एवं वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री महोदय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।

(v) जहां कोई विभागाध्यक्ष नहीं है या प्रकरण स्वयं विभागाध्यक्ष से संबंधित है, वहां संबंधित शासन सचिव उपर्युक्त मानदण्ड और प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, यथावश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे प्रस्तावों को आरंभ कर सकेगा।

(vi) मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन (Approval) के पश्चात् ही ऐसे पुनर्नियुक्ति के आदेश जारी किये जा सकेगें। यदि किसी विभाग के प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री है तथा प्रभारी मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री महोदय की स्वीकृति प्राप्त है, तब भी वित्त एवं कार्मिक विभाग की सहमति के पश्चात, पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण अनुमोदन हेतु मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत किया जावेगा।

अतः सभी प्रशासनिक विभागों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ठ किया जाता है कि उक्त प्रक्रिया की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न--उपरोक्तानुसार(प्रपत्र)

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदया।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
4. समस्त शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ठ सचिव/संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ उप शासन सचिव/शासन उप सचिव।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय।

(ओ. पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राज. विधानसभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

11/2015

अधिवार्षिकी आयु के पश्चात् राज्य कार्मिकों को पुनर्नियुक्ति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए <u>प्रोफार्मा</u>

विभाग / कार्यालय :---

सेवा का नाम :---

विशिष्टियां

1. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी का नाम व पदनाम :------------------------
2. सेवा का नाम, जिससे वह संबंधित है :------------------------------
3. जन्म तिथि और अंतिम आहरित वेतन :------------------------------
4. अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने की तारीख :------------------------
5. मूल पेंशन राशि :--
6. सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी को जिस रिक्त पद पर पुनर्नियुक्त किया जाना है उस पद के रिक्त रहने का कारण :--------------------------------------
7. स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विवरण सहित :----------------------------
8. भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति) :------------------------

   यदि पदोन्नति द्वारा :-

   (i) अंतिम नियमित चयन कब किया गया था ?:------------------------

   (ii) पदोन्नति के लिए पात्र वरिष्ठतम व्यक्ति उपलब्ध है या नहीं ?:---------

   (iii) नियमित चयन के लम्बित रहने के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र वरिष्ठतम व्यक्तियों में से कुछ स्थानापन्न नियुक्ति संभव है या नहीं ? :------------------------
   ----

9. अधिकारी / कर्मचारी की विशिष्ठ योग्यता एवं कुशलता का विवरण :---------------
   ----
10. वह तारीख जिससे पुनर्नियुक्ति प्रदान की जानी आवश्यक है :------------------
    ----
11. वह कालावधि जिसके लिए पुनर्नियुक्ति चाही गयी है :------------------------
    ----
12. ऐसी पुनर्नियुक्ति प्रदान करने के लिए विस्तृत औचित्य :--------------------
    ----

    ----
13. क्या ऐसे अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध कभी कोई विभागीय जांच की गई थी या लंबित है ? यदि ऐसा है तो उस पर आरोपों और अभियोजनों तथा निर्णयों का संक्षिप्त सार या जांच की वर्तमान स्थिति का कथन किया जाना चाहिए :--------------------
    ----

    ----
14. क्या प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ?------------------------